

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-04032022-233914
SG-DL-E-04032022-233914

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2022/फाल्गुन 12, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 485
No. 125]	DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2022/PHALGUNA 12, 1943	[N. C. T. D. No. 485

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय: स्थापना -1 शाखा

अधिसूचना

दिल्ली, 2 मार्च, 2022

फा.सं. DE.1(49)/357/RRs/Amendment/Drivers/2018/1563.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं० फा० 27/59—एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना सं० फा० 2(30)/86—एस—II दिनांक 29.10.1986 एवं अधिसूचना सं० फा० 2(8)/91—एस—II दिनांक 20.8.1991 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किए जाने वाले के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में चालक (भारी मोटर वाहन) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने वाले विद्यमान नियमों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

- (क) “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” से संबंधित कॉलम सं० 4 के समक्ष प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (19900 -63200 /-रूपये)
- (ख) “सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा” से संबंधित कॉलम सं० 6 के समक्ष प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

18-25 वर्ष*

(केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय)

नोट:—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, तथा यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।

* यदि सीधी भर्ती सीधी खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाती है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष होगी।

- (ग) “यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है ” से संबंधित कॉलम सं० 11 के समक्ष प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

पदोन्नति :

जिस कार्यालय में रिक्तियां हैं, भारी मोटर वाहन का लाइसेंस रखने वाले वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1, (18000-56900/-रुपये) के वेतनमान में नियमित एमटीएस (समूह-ग) कर्मचारियों में से बशर्ते कि परिवहन विभाग (मोटर वाहन संस्थान) द्वारा संचालित कौशल परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

- (घ) “यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है” से संबंधित कॉलम सं० 12 के समक्ष प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

समूह “ग” पदोन्नति पर विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति:

- | | |
|--|----------|
| 1. विशेष सचिव, शिक्षा निदेशालय (वित्त) | —अध्यक्ष |
| 2. उप लेखा नियंत्रक, शिक्षा निदेशालय, रा०रा०क्षे०दि०स० | —सदस्य |
| 3. उप निदेशक, शिक्षा (जीओसी) रा०रा०क्षे०दि०स० | —सदस्य |
| 4. उप निदेशक, शिक्षा (ई - III) रा०रा०क्षे०दि०स० | —सदस्य |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

रामचन्द्र महादेव शिंगारे, संयुक्त सचिव

DIRECTORATE OF EDUCATION: ESTABLISHMENT-I BRANCH

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd March, 2022

F. No. DE.1(49)/357/RRs/Amendment/Drivers/2018/1563.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.27/59-Him (i), dated the 13th July, 1959, and in supersession of Notification No. F.2 (30)/86-S.II dated 29.10.1986 and Notification No. F.2 (8)/91-S.II dated 20.08.1991 except as respects thing done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following amendments in existing rules regulating the method of recruitment to the post of Driver (Heavy Motor Vehicle) in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely :-

Amendments

1.

- (a) for entries against Column No. 4 relating to “Level in the pay matrix”, the following entries shall be substituted, namely:-

Level-2 (Rs. 19900-63200) in the Pay Matrix.

- (b) for entries against Column No. 6, relating to “Age limit for direct recruits”, the following entries shall be substituted, namely:-

18-25 Years.*

(Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)

Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangri Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).

*If direct recruitment is to be made by direct open competitive Examination, the age limit would be 18-27 Years.

- (c) for entries against Column No. 11, relating to "In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made", the following entries shall be substituted, namely:-

Promotion :

From amongst the regular MTS (Group-C) employees in Pay Scale of Rs.18000-56900 in **Level-1** of Pay Matrix having Driving Licence of Heavy Motor Vehicle in the office in which the vacancy arises subject to passing of Skill Test to be conducted by Transport Department (Motor Vehicle Institute).

- (d) for entries against Column No. 12, relating to "If DPC exists, what is its composition", the following entries shall be substituted, namely:-

Group 'C' DPC for considering promotion:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Special DE (Finance)/, Govt. of NCT of Delhi | - Chairman. |
| 2. DCA, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi | - Member. |
| 3. Deputy Director of Education (GOC), Govt. of NCT of Delhi | - Member. |
| 4. Deputy Director of Education (E-III), Govt. of NCT of Delhi | - Member. |

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAMCHANDRA MAHADEV SHINGARE, Jt. Secy.